न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2009 G.C.M.S. No. 2009/00049 दर्ज दिनांक : 01.09.2009

अपीलार्थी:

1. जयराम गोदपुत्र भोपालराम, जाति देवासी, साकिन नयागांव, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. तहसीलदार सोजत, जिला पाली।
2. कानाराम पुत्र मंगलाराम देवासी,
3. भैराराम पुत्र मंगलाराम देवासी, जाति देवासी, अकवाम नयागांव, तहसील सोजत व जिला पाली। (फौत, विलोपित)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2007 बअनवान जयराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2009

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. श्री वीरमाराम मीणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 19.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2007 बअनवान जयराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2009 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में पुराने खसरा नम्बर 1448 नये खसरा नम्बर 275, रकबा 15 बीघा, किस्म बंजड़, मौजा नया गाँव, तहसील सोजत में स्थित है। जिस कृषि भूमि का आवंटन तारीख 27.05.1975 को वादी अपीलाण्ट के पिता भोपालराम के हक में नियमानुसार किया गया था, तब से उक्त भूमि पर लगातार, शान्तिपूर्वक, बिना रोकटोक के, खुल्लम खुला, बतौर हक के मुखालफाना कब्जा उक्त भोपालराम का विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट्स के रहा एवम उक्त भोपालराम के वादी अपीलाण्ट गोद जाने के समय से ऊपर अनुसार लगातार मुखालफाना कब्जा एकमात्र वादी अपीलाण्ट का ही आज तक रहा है। लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर टिनेन्ट के उक्त भोपालराम व वादी अपीलाण्ट के नाम जानबूझकर अंकन रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा नहीं किया जाकर मात्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

लापरवाही बरती गई। जिससे वादी अपीलाण्ट ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट्स उक्त आराजी का खातेदार टिनेन्ट वादी अपीलाण्ट को घोषित करने बाबत अदालत मातहत के समक्ष पेश किया, जिस वाद में रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 3 ने इकबाली जवाबदावा पेश किया एवम रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने इकबाली जवाबदावा आधारहीन एवम गलत, सच्चाई को छिपाते हुए पेश किया जिस पर माफिक प्लीडिंग्स, तनकियात पूर्ण रूप से कायम नहीं कर अदालत मातहत ने बाद शहादत अपीलाण्ट एवम रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 3 की के बाद बहस निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2009 के जरिये वाद अपीलाण्ट खारिज करने में एवं माफिक वाद उक्त आराजी का खातेदार टिनेन्ट वादी अपीलाण्ट को घोषित नहीं करने में अदालत मातहत ने कानूनी एवं वाक्याती गम्भीर भूल की हैं। वादी अपीलाण्ट का वाद 30 वर्ष से ज्यादा के Adverse Possession एवम् आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1975 के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष था, जिस वाद को वादी अपीलाण्ट ने दस्तावेज एवम् जुबानी शहादत के जरिये साबित करवाया तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 3 ने वादी के वादपत्र को इकबाली जवाबदावा के जरिये सही होना स्वीकार किया, जबकि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की तरफ से कत्तई कोई अपने जवाबदावा की पुष्टि में या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार की शहादत पेश नहीं की गई। इन उपरोक्त हालात में तनकी संख्या 1 वादी अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण रूप से साबित अदालत मातहत के समक्ष थीं। चूंकि आवंटन आदेश एवम् प्रासंगिक दस्तावेजात् एवम् मुकम्मिल शहादत तनकी संख्या 1 को साबित हेतु अदालत मातहत की पत्रावली पर थीं, जिससे तनकी संख्या 1 को खिलाफ वादी अपीलाण्ट तय करने में एवं निर्णय व डिक्री जैर अपील के जरिये वाद अपीलाण्ट खारिज करने में एवम् अनुतोष माफिक वाद–वादी अपीलाण्ट को प्रदान नहीं करने में तथा माफिक वाद उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार टिनेन्ट वादी अपीलाण्ट को घोषित नहीं करने में अदालत मातहत ने गम्भीर भूल की हैं। जिससे उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2009 कानूनन काबिल निरस्त के हैं एवम् अपील वादी अपीलाण्ट की काबिल स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी वादी के पिता भोपालराम को दिनांक 27.05.1975 को आवंटित होने, वादी भोपालराम का गोदपुत्र होने, वादग्रस्त आराजीयात पर आवंटन दिनांक 27.05.1975 से वादी के पिता भोपालराम एवं उसके पश्चात वादी का निर्बाध कब्जाकाश्त होने भोपालराम के अन्य वारिसान पुत्रियां राधा व भीरकीदेवी द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 20.03.2007 व 27.03.2005 को हकतर्कनामा निष्पादित कर देने, राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटन का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रदर्श 1 आवंटन आदेश है, आवंटन आदेश, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी वर्ष 2005, प्रदर्श 3 नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2063 तथा प्रदर्श 5 नकल खसरा पत्रक सेटलमेंट है। वादी द्वारा वादपत्र में यह दावा किया गया है कि वादी के पिता को ग्राम नयागांव के पुराना खसरा नंबर 1448 रकबा 15 बीघा में नया खसरा नंबर 275 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित की गई। प्रदर्श 1 भूमि आवंटन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी भोपाल पुत्र भगा को ग्राम नयागांव तहसील सोजत में भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा संख्या 1448 में 15 बीघा भूमि दिनांक 27.05.1975 को आवंटित की गई। प्रकरण में रेस्पोंडेंट सरकार द्वारा इनकारी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा केवल वादी के वादपत्र के आधार पर एक ही तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में प्रतिवादी सरकार की साक्ष्य नहीं ली गई एवं न ही प्रतिवादी सरकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था। जिनसे साक्ष्य अपेक्षित नहीं थीं। लेकिन प्रतिवादी सरकार से साक्ष्य लिया जाना अपेक्षित था। जो नहीं लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई।

3. प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी के पिता को ग्राम नयागांव के पुराना खसरा संख्या 1448 में 15 बीघा भूमि दिनांक 27.05.1975 को आवंटित की गई.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जो निर्विवाद है। भूप्रबंध उपरांत उक्त आराजी के नवीन खसरा संख्या कौन–कौनसे बने, के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवेचन किए बिना एवं आवंटन पश्चात आवंटन शर्तों की अनुपालना, कब्जाकाश्त आदि के संबंध में कोई विवेचन किए बिना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो पुष्टियोग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2007 बअनवान जयराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2009 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत से वादपत्र का पदवार विधिवत जवाबदावा प्राप्त कर दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 के संगत विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र का विधिनुरूप निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन सहायक कलक्टर सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 आस्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner